

(भारत के राजपत्र भाग II, खंड 3(ii) में प्रकाशनार्थ)

ई फा.सं. 6/1(v)/2024-बीओ-I

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

11 अप्रैल, 2025

नई दिल्ली, दिनांक -----

21 चैत्र, 1947 (शक)

अधिसूचना

राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और प्रकीर्ण उपबंध) स्कीम, 1970 के खंड (3) के उप-खंड (1) के साथ पठित बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 (1970 का 5) की धारा 9 की उप-धारा (3) के खंड (ज) और उप-धारा (3क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा, श्री दीपक शर्मा (जन्म तिथि: 31.7.1976) को अधिसूचना की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, इण्डियन ओवरसीज बैंक के निदेशक मंडल में अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक के पद पर पुनः नामित करती है।

विजय शंकर तिवारी
(विजय शंकर तिवारी)

अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

प्रबंधक,

भारत सरकार मुद्रणालय,

मायापुरी औद्योगिक क्षेत्र,

रिंग रोड, नई दिल्ली।